उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–2209/79–5–2011–282/98 दिनांक 11.7.2011 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत स्नातक अर्हताधारी अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों से दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह कार्यरत स्नातक अर्हताधारी समस्त अप्रशिक्षित शिक्षा मित्र अपना आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप पर **व्यक्तिगत रूप/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** से उस जनपद के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को भेजेंगे, जिस जनपद में वे शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। इस हेतु उनका आवेदन पत्र **निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 30.7.2011** तक सम्बन्धित जनपद के **जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान** को प्राप्त हो जाय। नवसृजित जनपद कांशीरामनगर तथा छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के शिक्षा मित्र उस मूल जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन करेंगे जिसमें पूर्व में उनके विद्यालय से सम्बन्धित विकासखण्ड सम्मिलित था। डाकघर के विलम्ब अथवा किसी अन्य कारण से उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उस विद्यालय, जिसमें शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं, के प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर दिनांक सहित एवं उस विकासखण्ड, जिसमें सम्बन्धित विद्यालय स्थित है, के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर दिनांक सहित होना अनिवार्य है।

1. पात्रता – आवेदन हेतु ऐसे शिक्षा मित्र पात्र होंगे, जो स्नातक अर्हताधारी हों और शिक्षा मित्र के रूप में **संविदा प्राप्त करने की तिथि के बाद से निरंतर** प्रत्येक शैक्षिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में संतोषजनक ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हों।

2. **प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार** – प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित अर्हताधारी शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नवत् वरीयता के अनुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा –

   (क) शिक्षा मित्र की नियुक्ति हेतु प्रथम संविदा की तिथि के अवरोही क्रम में चयन किया जायेगा। इस प्रकार पहले संविदा पर आये शिक्षा मित्र को प्रथम स्थान दिया जायेगा तथा संविदा तिथि के क्रम में बाद में संविदा पर आने वाले शिक्षा मित्रों को चयनित किया जायेगा।

   (ख) यदि कई शिक्षा मित्रों की संविदा की तिथि एक हो तो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग में अधिक योग (गुणांक) वाले शिक्षा मित्र का नाम पहले स्थान पर होगा। इस प्रकार संविदा की तिथि एक होने पर गुणांक के अवरोही क्रम में चयन की कार्यवाही की जायेगी।

   (ग) यदि प्रथम संविदा की तिथि तथा शैक्षिक गुणांक समान हों, तो अधिक आयु वाले शिक्षा मित्र को वरीयता दी जायेगी।

   (घ) यदि प्रथम संविदा की तिथि, शैक्षिक गुणांक तथा आयु भी समान हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम के अनुसार (alphabetical order) वरीयता प्रदान की जायेगी।

3. **दिनांक 4.9.2001 के पूर्व के शिक्षा मित्रों** को **चयन में दिनांक 4.9.2001 से ही वरीयता प्रदान की जायेगी।**

4. राज्य सरकार के विद्यमान आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्गों हेतु निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जायेगा।

5. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार वरीयताक्रम में चयनित शिक्षा मित्रों की सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुये तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में 70 अभ्यर्थियों की सूची विकासखण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. इस प्रशिक्षण की सुविधा स्नातक अर्हताधारी उन्हीं शिक्षा मित्रों को उपलब्ध हो सकेगी, जो शिक्षा मित्र के रूप में संविदा प्राप्त करने की तिथि के बाद से निरंतर प्रत्येक शैक्षिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में संतोषजनक ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हों।

7. शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण की अवधि में मानदेय यथावत् देय होगा । ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं नगर संसाधन केन्द्र पर होने वाले प्रशिक्षण (Contact Programme) में शिक्षा मित्रों को भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

8. दो वर्षीय प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र अपने विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य करेंगे तथा बुलाये जाने पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र एवं नगर संसाधन केन्द्र पर आयोजित कॉन्टेक्ट प्रोग्राम में उपस्थित होंगे तथा निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

9. शैक्षिक अंकपत्र/प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्पष्ट पठनीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। जांच/नामांकन के समय उक्त समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अध्यक्ष/प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
समस्त जनपद, उ0प्र0।

आवेदन पत्र का प्रारूप
(प्रारूप ए–4 साइज के पेपर पर वेबसाइट www.scertup.org से डाउन लोड किया जा सकता है।)

जनपद...

अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों के दूरस्थ शिक्षा विधि से प्रशिक्षण में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र

(आवेदन–पत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं साफ–साफ भरा जाय। कटिंग एवं ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार लिखी जाय। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एव आधा आवेदन पत्र पर हो।

1. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)..
2. पिता का नाम (हिन्दी में)..
3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
4. (अ) विद्यालय का नाम, जहां शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं ....
   ....
   (ब) विकासखण्ड ....(स) जनपद ....
5. स्थायी पता (थाना सहित) ....
   ....
6. टेलीफोन नं0 यदि हो (एस0टी0डी0 कोड सहित)–..मोबाइल नं0 यदि हो..
7. जाति आरक्षण कोड– (सामान्य–1, अनुसूचित जाति–2, अनुसूचित जनजाति–3, अन्य पिछड़ी जाति–4) ☐
8. विशेष आरक्षण कोड–
   (विकलांग दृष्टिबाधित–5, विकलांग श्रवणहृास–6, विकलांग चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता–7, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित–8, भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)–9) ☐
   (लागू न होने पर खाने में 'X' का निशान बना दिया जाय) ☐
9. अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता का विवरण–

परीक्षा	बोर्ड एवं कॉलेज/वि0वि0	वर्ष	अनुकमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक (भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण)					

10. संलग्नकों का विवरण :–

1.	2.	3. ....
4.	5.	6. ....
7.	8.	9. ....

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि मैं .... विद्यालय में दिनांक .... से अद्यतन शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हूँ। उपरोक्त विवरण सत्य है। नामांकन के पूर्व अथवा बाद में जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर संबंधित संस्थान/प्राधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन–पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरा होने तथा आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने तथा विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने/चयन/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन/नामांकन/संविदा/नियुक्ति स्वत: निरस्त समझी जाय तथा मेरे विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जाय।

दिनांक – ....

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पठनीय हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का पूरा नाम

जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हों, के प्रधानाध्यापक तथा सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भरा जायेगा तथा मोहर लगायी जायेगी

श्री/श्रीमती/कु0 ....विद्यालय..

विकासखण्ड..जनपद..में दिनांक .... से अद्यतन निरंतर प्रत्येक शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत है।

प्रधानाध्यापक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर तिथि सहित	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकासखण्ड का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर तिथि सहित